

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रलिस के लयः

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), ज़ीरो प्रीमियम, सब्सडी, फसल बीमा ।

मेन्स के लयः

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में केंद्रीय कृषि और कसिान कल्याण मंत्रालय ने कहा कविह हाल के **जलवायु संकट** और तेज़ी से तकनीकी वकिस के जवाब में **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** में कसिान-समर्थक परिवर्तन करने के लयि तैयार है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):

परचियः

- PMFBY को वर्ष 2016 में लॉन्च कयिा गया तथा इसे कृषि और कसिान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासति कयिा जा रहा है ।
- इसने **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)** और संशोधति **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)** को परिवर्तति कर दयिा ।

पात्रता:

- अधसूचति कषेत्रों में अधसूचति फसल उगाने वाले **पट्टेदार/जोतदार** कसिानों सहति सभी कसिान कवरेज के लयि पात्र हैं ।

उद्देश्यः

- प्राकृतकि आपदाओं, कीटों और रोगों या कसिी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि कसिानों की आय को स्थरि करने में मदद मलि सके ।
- खेती में **नरिंतरता सुनश्चति करने के लयि** कसिानों की आय को स्थरि करना ।
- कसिानों को नवीन और आधुनकि कृषि पद्धतयिों को अपनाने के लयि प्रोत्साहति करना ।
- कृषि कषेत्र के लयि ऋण का प्रवाह सुनश्चति करना ।

बीमा कसितः

- इस योजना के तहत कसिानों द्वारा दी जाने वाली नरिधारति बीमा कसित/प्रीमियम- खरीफ की सभी फसलों के लयि **2% और सभी रबी फसलों के लयि 1.5% है** ।
- वार्षकि वाणजियकि तथा बागवानी फसलों के मामले में **बीमा कसित 5% है** ।
- उत्तर-पूरवी कषेत्र को छोड़कर जहाँ यह 90:10 है, इन सीमाओं से अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर साझा कयिा जाता है ।
- सरकारी सब्सडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है । यहाँ तक कि अगर शेष प्रीमियम 90% है, तो यह सरकार द्वारा वहन कयिा जाएगा ।
 - इससे पहले प्रीमियम दर को सीमति करने का प्रावधान था, जसिके परिणामस्वरूप कसिानों को कम दावों के आधार पर भुगतान कयिा जाता था ।
 - यह ऊपरी सीमा अब हटा दी गई है और कसिानों को बना कसिी कटौती के पूरी बीमा राशिका दावा प्राप्त होगा ।

दायरा:

- पीएमएफबीवाई वर्तमान में कसिान नामांकन के मामले में **दुनयिा की सबसे बड़ी** तथा औसतन 5.5 करोड़ आवेदन एवं प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है ।
- मौसम से प्रभावति वर्ष 2017, 2018 और 2019 के खराब मौसम के दौरान यह योजना **कसिानों की आजीवकिा को सुरकषति करने में एक नरिणायक कारक साबति हुई, जसिमें कई राज्यों में दावों का भुगतान अनुपात (Claims Paid Ratio) एकत्र सकल प्रीमियम के मुकाबले 100% से अधिक रहा** ।



हाल ही के परिवर्तन:

- यह योजना कभी ऋणी किसानों के लिये अनविर्य थी, लेकिन वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर इसे सभी किसानों के लिये वैकल्पिक बना दिया।
- केंद्र ने फरवरी 2020 में अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असंचित क्षेत्रों के लिये 30% और संचित क्षेत्रों के लिये 25% (मौजूदा असीमति से) तक सीमिति करने का फैसला किया। इससे पहले केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी।
- हाल ही में शुरु की गई मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-Tech) वास्तविक समय अवलोकनों और फसलों की तस्वीरों का संग्रह (CROPIC) अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिये इस योजना के तहत उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं।

योजना से संबंधित मुद्दे:

- राज्यों की वित्तीय बाधाएँ:** राज्य सरकारों की वित्तीय बाधाएँ और सामान्य मौसम के दौरान कम दावा अनुपात इन राज्यों द्वारा योजना के गैर-कार्यान्वयन के प्रमुख कारण हैं।
 - राज्य ऐसी स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं जहाँ बीमा कंपनियाँ किसानों को उनके द्वारा और केंद्र से एकत्र किये गए प्रीमियम से कम मुआवज़ा देती हैं।
 - राज्य सरकारें समय पर धन जारी करने में विफल रही जिससे बीमा मुआवज़ा जारी करने में देरी हुई।
 - यह योजना के मूल उद्देश्य, जो कि कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, को विफल करता है।
- दावा निपटान मुद्दे:** कई किसान मुआवज़े के स्तर और निपटान में देरी दोनों से असंतुष्ट हैं।
 - बीमा कंपनियों की भूमिका और शक्ति महत्वपूर्ण है। कई मामलों में इसने स्थानीय आपदा के कारण हुए नुकसान की जाँच नहीं की और इसलिये दावों का भुगतान नहीं किया गया।
- कार्यान्वयन के मुद्दे:** बीमा कंपनियों ने उन समूहों के लिये बोली लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है जो फसल के नुकसान से ग्रस्त हैं।
 - इसके अलावा यह बीमा व्यवसाय की प्रकृति में है कि जब फसल की विफलता कम होती है और इसके विपरीत होती है तो संस्थाएँ पैसा कमाती हैं।

आगे की राह:

- कृषि-प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बीमा संघ [वित्तीय समावेशन](#) और इस योजना की विश्वसनीयता में वृद्धि के लिये काफी प्रभावी फॉर्मूला हो सकता है।
- [वशिव आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022](#) अगले 10 वर्षों की अवधि में चरम मौसम जोखिम को दूसरे सबसे बड़े जोखिम के रूप में वर्गीकृत करती है। इसलिये किसानों को उनकी वित्तीय स्थिति की रक्षा करने तथा उन्हें खेती जारी रखने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु एक सुरक्षा जाल प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
- इस योजना से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिये राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच व्यापक पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- इसके अलावा इस योजना के तहत सब्सिडी का भुगतान करने के बजाय राज्य सरकार को उस पैसे को एक नए बीमा मॉडल में निवेश करना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2016))

1. इस योजना के तहत कसिनॉ को वर्ष के कसिी भी मौसम में खेती की जाने वाली कसिी भी फसल के लयि दो प्रतशित का एक समान प्रीमयिम का भुगतान करना होगा ।
2. इस योजना में चक्रवार्तों और बेमौसम बारशि तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल कयिा गया है ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-fasal-bima-yojana-7>

